आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

15.4.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 204/2016–17

अशोक कुमार सिंह, पिता–स्व0 मिश्रीलाल, सा0–जितवारपुर, थाना–ताराबाड़ी, जिला–अररिया

बनाम

1. श्री हरीकृष्ण झा, पिता–नथु झा
2. श्री कुलानंद झा, पिता–नथु झा
3. श्री अमन कुमार संचेती, पिता–गोविन्द राम संचेती,

सभी सा0–जितवारपुर, थाना–ताराबाड़ी, जिला–अररिया

आदेश

प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, अररिया के पत्रांक 1807, दिनांक 29.06.2016 द्वारा निम्न विवरण की जमीन का जमाबंदी सं0 1019 एवं 1020 जो बिना नामान्तरण वाद के श्री हरिकृष्ण झा एवं कुलानंद झा, दोनों पिता–नथु झा, ग्राम–जितवारपुर, थाना–ताराबाड़ी, जिला–अररिया के नाम दर्ज है, को रद्द करने की अनुशंसा सहित अभिलेख सं0 01/2016–17 इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है।

वादग्रस्त का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा	कुल रकवा
जितवारपुर अंचल–अररिया	183	668	229 230 231 232	0.74 0.73	1019 1020

पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई किन्तु विपक्षी द्वारा सूचना लेने से इन्कार किया गया। विपक्षी के अनुपस्थित रहने तथा उनकी ओर से कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किये जाने के कारण वाद की एक पक्षीय सुनवाई की गई।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि का कुल खतियानी रकवा 1.66 ए0 का खतियान हरिकृष्ण झा, पिता–स्व नथु झा व गोविन्द राम संचेती, पिता–स्व0 सुगम लाल संचेती ब हिस्सा बराबर हुई है। आवेदक के पिता स्व0 मिश्री सिंह व चाचा जय श्री सिंह द्वारा प्रश्नगत खेसरा से 41½ डी0 भूमि कायमीदार

स्व0 गोविन्द राम संचेती के पुत्र अभय कुमा संचेती से बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 735, दिनांक 27.01.1998 द्वारा क्रय कर दखलकार हुए। जिसका नामांतरण हेतु अंचलाधिकारी, अररिया को आवेदन पत्र दाखिल किया। जिसका नामान्तरण वाद सं0 1193/2007–08 को विज्ञ अंचलाधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में अपील वाद सं0 11/2007–08 / 19/2012 दाखिल किया। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा सम्यक सुनवाई के पश्चात् अंचलाधिकारी के पारित आदेश को निरस्त करते हुए आवेदक के दावे को स्वीकृत किया गया। जिसका अनुपालन अंचलाधिकारी, अररिया द्वारा नहीं किया गया। कई बार जिला पदाधिकारी महोदय के जनता दरबार में आवेदन दाखिल किये जाने के बावजूद भी अंचलाधिकारी, अररिया द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के फलस्वरूप पुनः आर0टी0पी0एस0 में कागजात दाखिल किया गया। जिसके आलोक में अंचलाधिकारी, अररिया द्वारा उक्त जमाबंदी सुधार अभिलेख सं0 01/2016–17 इस न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

इनका यह भी कहना है कि हरिकृष्ण झा की हिस्से की कुल 83 डी0 भूमि भूहदबंदी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना सं0 1852, दिनांक 26.11.1976 द्वारा अर्जित होकर वृहस्पति सिंह, पिता–बाबू लाल सिंह को लाल कार्ड द्वारा वितरित है, जिसका जमाबंदी सं0 1799 दर्ज है। पुनः गोविन्द राम संचेती के हिस्से की 83 डी0 भूमि में से 40½ डी0 भूमि अधिसूचना सं0 752, दिनांक 22.06.1976 द्वारा अर्जित होकर लाल कार्ड वृहस्पति सिंह, पिता–बाबू लाल सिंह के नाम निर्गत है, जिसका जमाबंदी सं0 1480 दर्ज है। भूधारी गोविन्द राम संचेती के बचत रकवा 41½ डी0 भूमि उनके द्वारा निबंधित दस्तावेज से क्रय किया गया है। भूधारी श्री हरिकृष्ण झा की पूरी भूमि रकवा 83 डी0 लाल कार्ड में अर्जित होकर वितरित हो चुकी है, जिसका लाल कार्डधारियों के नाम जमाबंदी भी दर्ज हो चुका है तो पुनः श्री हरिकृष्ण झा एवं कुलानन्द झा के नाम बिना नामान्तरण वाद के रकवा 74 डी0 एवं 73 डी0 का जमाबंदी सं0 1019 एवं 1020 का दर्ज होना सही नहीं है।

प्रथम पक्ष को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेखों के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का सर्वे खतियान संयुक्त रूप से हरिकृष्ण झा एवं गोविन्द राम संचेती के नाम से ब हिस्सा बराबर दर्ज है। प्रश्नगत भूमि का खतियानी रकवा 1.66 डी0 है। उक्त दोनों भूधारियों भूहदबंदी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना सं0 752, दिनांक 22.06.1976 द्वारा प्रश्नगत खेसरा से 83 डी0 तथा अधिसूचना सं0 1852, दिनांक 20.11.1976 द्वारा रकवा 40½ डी0 भूमि अर्जित की गई और वृहस्पत सिंह, पिता–बाबु लाल सिंह को प्रश्नगत भूमि का लाल कार्ड निर्गत है, जिसका जमाबंदी सं0 1799 एवं 1480 दर्ज है। गोविन्द राम संचेती की शेष 41½ डी0 भूमि आवेदक अशोक कुमार सिंह के पूर्वज मिश्री लाल सिंह के द्वारा उनके उत्तराधिकारी पुत्र अभय कुमार संचेती से

निबंधित दस्तावेज द्वारा क्रय कर दखलकार है। भूधारी हरिकृष्ण झा की पूरी भूमि रकवा 83 डी0 लाल कार्ड में अर्जित होकर वितरित हो चुकी है। अचंलाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित है कि पुनः श्री हरिकृष्झा झा, पिता–नथु झा व कुलानंद झा, पिता–नथु झा के नाम खाता सं0 668 रकवा क्रमशः 74 डी0 एवं 73 डी0 का बिना नामान्तरण वाद के दर्ज किये गये जमाबंदी सं0 1019 एवं 1020 को अवैध रूप से बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज पाई गई जो अवैध है। अतः अवैध रूप से कायम की गई जमाबंदी सं0 1019 एवं 1020 को बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम की धारा 9(1) के तहत रद्द किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख अंचलाधिकारी, अररिया को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह0/-
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह0/-
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 39/रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 15/04/2017

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, अररिया को जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 01/2016–17 मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

15.4.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया